

पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार

(बिहार सरकार का उपक्रम)
पौधवा तल्ला, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड
शास्त्री नगर, पटना - 800023

सं०-स०-PMAA/PRN/SHEKHPURA
GAURICHAK / G+03/16/2020 — 568

पटना, दिनांक- 02.12.2021

प्रेमक

प्रभारी निदेशक,
पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार,
बिहार पटना।

सेवा में,

श्री प्रदीप सुमन,
निदेशक, सौंदर्य इंफ्राटेक प्रा० लि०,
पिता-श्री कृष्णा महतो,
नार्थ पटेल नगर, शास्त्रीनगर,
जिला-पटना, बिहार।

विषय:- प्लान केस संख्या:- PMAA/PRN/SHEKHPURA
GAURICHAK / G+03/16/2020 की स्वीकृति के संबंध में।
महाराज,

आपके आवेदन सं०-PMAA/PRN/SHEKHPURA
GAURICHAK / G+03/16/2020 दिनांक-18.03.2020 के सदर
में श्री प्रदीप सुमन, निदेशक, सौंदर्य इंफ्राटेक प्रा० लि०, पिता-श्री कृष्णा महतो, नार्थ पटेल नगर,
शास्त्रीनगर, जिला-पटना, बिहार के भवन निर्माण के लिए पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार में बिहार शहरी
आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित विकास योजना/पटना महानगर क्षेत्र
प्राधिकार/आयोजना स्कीम/पटना मास्टर प्लान-2031 के आलोक में मौजा-शेखपुरा, सर्व
थाना-फुलवारीशरीफ, थाना सं०-111, सर्व प्लॉट सं०-426(अंश), खाता सं०-65, Tauzi No-28 में
आवासीय भवन, (G + 03) दिनांक-20.02.2021 को स्वीकृतार्थ नक्शा के बाबत निम्नलिखित
शर्तों/निर्घटनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

1. भूमि/भवन का उपयोग अन्य रूप से आवासीय भवन प्रयोजन, के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
2. विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।
3. अनुमोदन योजना में दर्शाया गया 514.22 वर्गमीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।
4. प्ररनगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।
5. मुख्यण्ड के सामने पश्चिम में वर्तमान सड़क 6.10मी० चौड़ी सड़क अवस्थित है। तथा आवेदक द्वारा मू-खण्ड के दक्षिण में 6.10मी० सड़क हेतु 31.29 वर्गमीटर छोड़ा गया है।
6. अनुमति (अनुज्ञा) जारी किये जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।